[श्री नेल्लेटि विश्वनाथनम]

हम इस बात को मानते हैं कि एक मित्र देश के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये और हमें अविश्वास प्रस्तावों तथा स्थगन प्रस्तावों से बचना चाहिये। लेकिन यह स्थिति किसने पैदा की? प्रधान मंत्री को अपने देश में तथा उसके आस-पास घटने वाली घटनाओं के बारे में कुछ और अधिक बताने में क्या आपत्ति थी? यद्यपि उनको तीन सप्ताह पहले यह सूचना मिल गई थी कि रूस पाकिस्तान को हथियार देगा लेकिन कुछ नहीं किया गया। यह आत्म-सन्तुष्टि की कहानी ही तो हमारे वर्तमान राजनीतिक जीवन की दुखान्त घटना है।

यह सच है कि हमारी एक स्वतंत्र विदेश नीति नहीं हो सकती क्योंकि हमारा आर्थिक जीवन स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने आप को मजबूत बनाने की बजाय हम दूसरों पर निर्भर होते गये और हमने सोचा कि प्रत्येक से सहायता लेना अच्छा है हमने अपने को आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाने के बारे में नहीं सोचा। अब हम एक निराशापूर्ण और गंभीर स्थिति में है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री से आशा करता हूं वे पूरी सभा का विश्वास प्राप्त करें। एक स्थगन प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव बुलाने की बजाय सरकार की स्वयं एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आगे आना चाहिये जिसमें नीति का उल्लेख हो स्थिति का उल्लेख हो तथा जो कदम उठाने हों उनका उल्लेख हो। राष्ट्र सरकार से ऐसी ही अपेक्षा करता हैं।

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : ऐसे ही एक पहले अवसर पर भी इसी प्रकार के तर्क उपस्थित किये गये थे मैंने सोचा था कि इस वाद-विवाद का कारण रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिया जाना था लेकिन इसमें सभी बातों को लिया गया यहाँ तक कि श्री पीलू मोडी के व्यापार और वाणिज्य को भी लिया गया यह भी कहा गया कि पाकिस्तान द्वारा गुट-निरपेक्षता के लिये किये गये प्रयत्नों के कारण उसको लाभ हुआ है।

विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में जिस बात पर विचार करना है वह यह है कि दीर्घ-कालीन रियायतें क्या हैं और इससे देश के लिए दीर्घकालीन आर्थिक और राजनीतिक क्या परिणाम होंगे। मैंने सोचा था कि श्री पीलू मोडी उत्तरदायित्व की भावना से काम लेंगे और ऐसे मिथ्या तर्कों का जोरदार समर्थन नहीं करेंगे। उप-प्रधान मंत्री महोदय ने उनकी कुछ बातों का उत्तर दे दिया है। यदि हम तथ्यों में जायें तो स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है और तर्कों के मिथ्यापन को सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन यह वाद-विवाद आर्थिक मामलों के विषय में नहीं है। मैं नहीं सोचती कि इन मामलों में सभा का समय लेना समुचित होगा।

इस वाद-विवाद का विशेष पहलू रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने से सम्बन्धित है। बहुत से प्रश्न जो उठाये गये थे उनका उत्तर दिया जा चुका है। उदाहरणार्थ यह प्रश्न कि हम संकल्प को स्वीकार करना क्यों नहीं चाहते थे? यह संकल्प के शब्दों के साथ झगड़ने का प्रश्न नहीं था। बल्कि इसके मूल विचार से झगड़ने का प्रश्न था और यह कि क्या अपने इतिहास में पहली बार संसद् उन देशों में से केवल एक देश (रूस) के सम्बन्ध में संकल्प पारित करे जिससे पाकिस्तान हथियार खरीदता

रहा है विशेषकर जबकि वह अन्य देशों से बहुत अधिक मात्रा में उपहार के रूप में हथियार प्राप्त करता रहा है। यही वास्तविक प्रश्न था।

हमारे बारे में यह कहा गया है कि हम विदेशी दबाव में आते है और एक सदस्य ने तो यहाँ तक कहा कि जो शिष्टमंडल बाहर जाते है वे भी दबाव में आकर ही जाते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है। दबाव उनकी ओर से होता है जो जाना चाहते हैं न कि आमंत्रित करने वालों की ओर से।

एक दूसरा प्रश्न 'गुट निरपेक्षता' के बारे में है। प्रत्येक दल ने 'गुट-निरपेक्षता' की अपनी-अपनी परिभाषा दी है। मैंने कई बार इसकी परिभाषा दी है और मैं आज फिर दूंगी। मैंने इस वाद-विवाद का स्वागत किया है क्योंकि इससे अपनी स्थिति पर पुनर्विचार का अवसर मिला है। इस समय इसका विशेष महत्व है क्योंकि इस समय जनमत बहुत विक्षुब्ध और चिंतित है।

एक प्रजातंत्रात्मक समाज में वैदेशिक कार्यों का संचालन करना हमेशा एक कठिन समस्या होती है, बहुत बातें लगातार प्रचार के कारण कठिन हो जाती हैं। जिन देशों की आधुनिक संसदीय संस्थाओं की एक लम्बी परम्परा और एक लम्बा इतिहास हो वे भी इस समस्या का एक वास्तविक, सच्चा और संतोषजनक उत्तर नहीं खोज पाये हैं, क्योंकि हमारी समस्यायें जटिल हैं और कई संगत तत्व यहां तक कि विशेषज्ञों को भी ज्ञात नहीं है साधारण आदमी की तो, बात ही क्या। किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति को और विशेषकर सरकार को इन मामलों में विवेक से काम लेना है क्योंकि इसमें दूसरी सरकारें और राष्ट्र भी शामिल हैं और कोई भी अनुपयुक्त शब्द हमारे हित पर आघात कर सकता है जिसकी हम रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन खुशी की बात है कि हम प्रजातंत्रात्मक ढंग से चल रहे है और जनमत भी ठीक रूप से कार्य कर रहा है। हमारा कर्तव्य भी है कि हम एक जागृत जनमत तैयार करें। विशेषकर वर्तमान स्थिति में जबकि लोगों में चिन्ता व्याप्त है।

कई सदस्यों ने सुझाव दिया है कि हमारी पहुंच वास्तविक होनी चाहिये। लेकिन यह कहना बड़ा कठिन है कि वे वास्तविकता का असली अभिप्राय क्या समझते हैं क्योंकि प्रत्येक सदस्य भिन्न भिन्न बातें कहते हैं कुछ सदस्यों ने नीति में परिवर्तन सम्बन्धी मेरे और उप प्रधान मंत्री के वक्तव्य में अन्तर बताने का प्रयत्न किया लेकिन बात यह है कि सदस्य हमारी बात को गौर से नहीं सुनते केवल अपनी ही कहते हैं।

मैंने अपने वक्तव्य में बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का वर्णन किया था, यदि सोवियत रूस ने अपने रवैये में कुछ परिवर्तन कर लिया है तो हमें इसे दूसरे परिवर्तनों के सन्दर्भ में भी देखना चाहिये। और जब मैंने यह कहा कि मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ तो इस का अर्थ यह नहीं था कि हमें कोई निश्चित जानकारी प्राप्त हो गई थी बल्कि आश्चर्य इसलिये नहीं हुआ क्योंकि इस मामले के बारे में ऐसे अनुमान प्रचलित थे और हमें निश्चित रूप से ऐसा संकेत प्राप्त हुआ कि रूस पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध चाहता है यद्यपि उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस से हमारे साथ उनकी मित्रता अथवा हमारे हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह विश्वास करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है कि रूस हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा। मित्रता अनन्य नहीं होती, आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से भी यही दिखाई दे रहा है। भिन्न गुटों में जो निश्चित विरोध दिखाई देता

था आज वह भी समाप्त होता सा जान पड़ रहा है, वे एक दूसरे के साथ अब सम्पर्क बढ़ाना चाहते हैं ।

पाकिस्तान को हथियार दिये जाने पर हमने चिन्ता इसलिए व्यक्त नहीं की कि वह हमें तुरन्त धमकी देने लगेगा बल्कि इसलिए कि इससे उसके शत्रुतापूर्ण रवैये को बढ़ावा मिलेगा, यह स्पष्ट है कि हम अपने पड़ोसियों के लिये हमेशा शत्रुता की बात नहीं सोच सकते । हम समझौते के लिए हमेशा अपना द्वार खुला रखते हैं, पाकिस्तान के साथ बैठकर चर्चा करने आदि से यह प्रकट होता है कि हम विवादास्पद मामलों पर बातचीत करने के इच्छुक हैं लेकिन इसके लिए समुचित वातावरण होना चाहिये और हम अपने राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा नहीं कर सकते ।

ताशकन्द घोषणा, कच्छ न्यायाधिकरण और अन्य ऐसी ही बातों के बारे में कुछ कहा गया है। सरकार इन विषयों पर चर्चा कर चुकी है और उत्तर दिये जा चुके हैं । यह कहना अनुचित और पूर्णतः आधार हित होगा कि हम इन मामलों में किसी के दबाव में आये हैं । पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने तेहरान में बोलते हुए कहा कि इस सौदे से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी । यदि इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपने और अपने देश के रवैये पर पुनर्विचार करके अधिक मित्रतापूर्ण रवैया अपनायेंगे तो हम इसका निश्चय रूप से स्वागत करेंगे ।

गुट-निरपेक्षता की नीति का उल्लेख किया गया था, सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण दे चुकी है । यदि नीति को कार्यान्वित करने में कठोरता बरती गयी है तो हम देखेंगे कि हम किस प्रकार अधिक लचीला रवैया अपना सकते हैं । लेकिन कुछ ऐसे कारणों से जो हमारे नियंत्रण से परे थे हमारी कूटनीति मंद पड़ गई । हमारी सीमाओं पर हुए आक्रमणों से ऐसा हुआ ।

इन कठिनाइयों के बावजूद भी हम अपने सम्पर्क बढ़ाते रहे हैं । मैंने कुछ ऐसे देशों की यात्रा की है जिनके साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं थी । लेकिन कोई निकट सम्पर्क भी नहीं थे । इसी प्रकार के सम्पर्क बढ़ाने के कार्य सरकार ने भी आरम्भ कर दिये हैं। मैं महसूस कर रही हूं कि हम नये मित्र बना रहे हैं और नये सम्पर्क बढ़ा रहे हैं तथा आर्थिक सहयोग भी बढ़ रहा है । मैंने 5 अप्रैल 1968 को सरकार के उद्देश्यों की परिभाषा देते हुए कहा था कि जिनके साथ हमारी मित्रता है उनके साथ और अधिक मित्रता बढ़ाई जानी चाहिए और जिनके साथ मतभेद हैं उस मतभेद को दूर किया जाना चाहिये तथा जिनके साथ शत्रुता है उस शत्रुता को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । अपने स्थायी मूल्यों और हितों के बारे में हम समझौता नहीं कर सकते ।

चैकोस्लोवाकिया की स्थिति अभी अस्थिर है और वे रूस के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में एक समझौते पर आने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उसके साथ किस प्रकार के उनके सम्बन्ध होंगे । इस समय चेकोस्लोवाकिया के साथ हमारे रवैये का प्रश्न नहीं उठता । हमारा विश्वास है कि प्रत्येक देश को अपनी समस्यायें स्वयं हल करनी चाहिये। दूसरों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

आशा है कि इतना कुछ कहने के बाद वे स्थगन प्रस्ताव वापिस ले लेंगे ।

श्री पीलू मोदी : (गोधरा) एक बहुत साधारण और सीधा संकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया था जिससे यह सम्भव हो सके कि ऐसे गम्भीर महत्वपूर्ण मामलों में देश एक दृढ़ और संग-

ठित रवैया अपना सके, हम स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में खुश नहीं थे लेकिन यह सरकार इतना कहने के लिए भी तैयार नहीं कि "हम सोवियत संघ के निर्णय पर खेद प्रकट करते हैं"।

मुझपर यह कहने का आरोप लगाया गया है कि मैं गुट-निरपेक्षता के पक्ष में नहीं हूं। पहले तो मैंने ऐसा नहीं कहा, अगर मैंने ऐसा कहा है तो मैं चिन्ता नहीं करता क्योंकि मैं नहीं सोचता कि किसी भी विदेश नीति पर समय से पूर्व ही कोई आक्षेप लगाया जाना चाहिये। प्रत्येक विदेश नीति को स्व-हितों के आधार पर विकसित होना चाहिये।

मैं बता चुका हूं कि कहां इस सरकार ने अपने हितों का बलिदान किया है। मैंने कभी भी ऐसा निर्देश नहीं किया है कि सोवियत संघ ने हमेशा हमारे साथ ऐसा किया, हमने सोवियत संघ से कई अच्छे प्रस्ताव प्राप्त किये हैं तो बुरे प्रस्ताव भी प्राप्त किये हैं। वास्तव में अनेक कुछ ऐसे बुरे प्रस्ताव हैं जिनको आज मैं प्रस्तुत नहीं कर सका। यही स्थगन प्रस्ताव का प्रयोजन था, कुछ कारणों से अनेक ऐसे समझौते किये गये जो हमारे हितों में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा अब स्थगित होती है"।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 61, विपक्ष में 206

Ayes 61, Noes 206.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक—(जारी)

Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : श्री चं० चु० देसाई अपना भाषण जारी करें। वह उपस्थित नहीं हैं। तब श्री कंवर लाल गुप्त।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. speaker, I stand to oppose the Bill which is before the House.

अध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखें। सभा कल 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 23 जुलाई, 1968/1 श्रावण, 1890 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 23, 1968/Sravana 1, 1890 (Saka).

GMGIPND—1740 (ai) LS—21-1-69— 600.